डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 सितम्बर 2001—आश्विन 5, शक 1923

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायुपर, दिनांक 27 सितम्बर 2001

शुद्धि पत्र

क्रमांक 8086 छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण).—क्रमांक 132 दिनांक 15 जून 2001 में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ पंचायत शाला शिक्षा संविदा शिक्षक (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम 2001 में निम्नानुसार शुद्धि पत्र जारी किया जाता है :—

1. नियम-2 परिभाषाएं से संबंधित खण्ड (ड) में पंचायत से अभिप्रेत है यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत के बाद या ग्राम पंचायत जोड़ा जाए.

2. नियम-2 परिभाषा से संबंधित खण्ड (ज) में संविदा शाला शिक्षक से अभिप्रेत है, यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत के बाद या ग्राम पंचायत जोड़ा जाए.

3. नियम-3 विस्तार तथा लागू होना में ये नियम के बाद ग्राम पंचायत या जोड़ा जाए.

4. नियम-5 चयन तथा भरती की पद्धति से संबंधित उप नियम (5) के खण्ड (3) में संबंधित के बाद ग्राम पंचायत या जोड़ा जाए.

5. नियम-5 चयन तथा भरती की पद्धति से संबंधित उप नियम (7) की प्रथम पंक्ति में चयन समिति यथास्थिति जिला पंचायत या जनपद पंचायत के बाद या ग्राम पंचायत जोड़ा जाए.

6. नियम-5 चयन तथा भरती की पद्धति से संबंधित उप नियम (9) की तीसरी पंक्ति में पंचायत के बाद तथा ग्राम पंचायत जोड़ा जाए.

7. नियम-8 अनुशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रथम पंक्ति में संविदा शिक्षक यथास्थिति जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत के बाद ग्राम पंचायत जोड़ा जाए.

8. नियम-10 अन्य शर्तें संबंधित खण्ड (क) की प्रथम पंक्ति में पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के बाद तथा ग्राम पंचायत के सरपंच जोड़ा जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.